UPLL010025102026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 716/2026

दशरथ पुत्र श्री शंकर निवासी ग्राम कनेरा, थाना जौसीनगर, जिला सागर।

-----आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

-----विपक्षी।

मु०अ०सं० 213/2026,
धारा 108 बी.एन.एस.
थाना महरौनी, जिला ललितपुर।

दिनाँकः 15.06.2026

आवेदक/अभियुक्त दशरथ की ओर से मु०अ०सं० 213/2026, धारा 108 बी.एन.एस., थाना महरौनी, जिला ललितपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 716/2026 प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जेल में निरुद्ध है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कहा गया है कि उसकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जमानत हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, न खारिज हुआ है और ना ही विचाराधीन है। उक्त तथ्यों का खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी प्रीतम कुशवाहा द्वारा मुकामी थाने महरौनी में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनाँक 11.05.2026 को शादी समारोह चल रहा था। निमन्त्रण में भागीरथ के साले का लड़का राहुल उर्फ विवेक भी निमन्त्रण में आया था, जो मौका पाकर उसकी भतीजी को बहला–फुसलाकर समय करीब 01.30 बजे दिन में भगा ले गया था, जिसका मुकदमा उसके भाई रमेश ने लिखाया था। तभी से भागीरथ, सीमा तथा राहुल उर्फ विवेक के पिता दशरथ, रमेश को धमकाते थे कि "तूने मेरे साले के लड़के राहुल के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर ठीक नहीं किया है" और तभी से उसको प्रताड़ित करने लगे। उनकी प्रताड़ना से आहत होकर रमेश ने दिनाँक 18.05.2026 को घर से निकलकर बगीचे में बेल के पेड़ से रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

5. वादी मुकदमा प्रीतम कुशवाहा की उक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त दशरथ व सह अभियुक्तगण सीमा व भागीरथ के विरुद्ध मुकामी थाने महरौनी में अपराध संख्या 213/2026 पर धारा 108 बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बेगुनाह एवं बेकसूर हैं। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। तथाकथित घटना से उसका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्राथमिकी सोच विचार करके विलंब से दर्ज कराई गई है। मृतक रमेश को धमकी दिये जाने की कोई तिथि व समय नहीं बताया गया है। घटना का

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.06.15 19:12:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है। वह इन्दौर में रहकर मेहनत मजदूरी का कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उक्त दिनाँक को वह ग्राम सिंदवाहा में नहीं था। मृतक द्वारा अपनी निजी परेशानी की वजह से आत्महत्या की गयी है जबकि वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा व भागीरथ के मध्य काफी समय से विवाद एवं पार्टीबंदी चली आ रही है तथा उसे भागीरथ का रिश्तेदार होने के कारण झूठा फंसा दिया गया है। वह दिनाँक 21.05.2026 से जेल में निरुद्ध है।

7. अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक को धमकी देकर उत्पीड़ित किया जा रहा था। अभियुक्तगण की प्रताड़ना से तंग आकर मृतक द्वारा आत्महत्या कर ली गयी है।

8. केस डायरी के परिशीलन से ज्ञात से होता है कि प्रकरण की प्राथमिकी वादी मुकदमा प्रीतम कुशवाहा द्वारा आवेदक/अभियुक्त दशरथ व दो अन्य सह अभियुक्त सीमा व भागीरथ के विरुद्ध नामजद दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त पर मृतक रमेश से गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देकर आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने, (जिसके परिणामस्वरूप मृतक रमेश द्वारा आत्महत्या कर लेने) का आरोप है।

9. **वादी प्रीतम कुशवाहा ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्राथमिकी के कथनों का समर्थन करते हुए विवेचक को बताया है कि** दिनाँक 11.05.2026 को उसके परिवार में भतीजे हल्ले की शादी थी। शादी में उसके भाई भागीरथ के साले दशरथ का लड़का राहुल उर्फ विवेक आया हुआ था, जो मौका पाकर उसकी भतीजी को बहला–फुसलाकर समय करीब 1.30 बजे दिन में भगा ले गया। जिसका मुकदमा रमेश ने लिखाया था। उक्त मुकदमे की जानकारी होने पर भागीरथ, सीमा व राहुल उर्फ विवेक के पिता दशरथ ने रमेश को कई बार धमकाया व डराया। वे लोग उसके भाई को लगातार प्रताड़ित करने लगे। दशरथ ने भी कई बार आकर उसके भाई रमेश को धमकाया, डराया एवं प्रताड़ित किया। भागीरथ की पत्नी ने भी कई बार रमेश को अपमानित किया था। उसके भाई ने उनको कई बार यह बात बतायी थी। उक्त लोगों की प्रताड़ना से आहत होकर उसके भाई ने दिनाँक 18.05.2026 को घर से निकलकर बगीचे में बेल के पेड़ से रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। **वादी के उपरोक्त बयान का समर्थन साक्षीगण मीना व मुलायम द्वारा विवेचक को दिये गये अपने बयान में किया है।**

12. इस प्रकार केस डायरी के परिशीलन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतक रमेश के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर, उसका उत्पीड़न किया जा रहा था, जिस कारण मृतक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी। प्राथमिकी 20.05.2026 को पंजीकृत हुई है तथा इस समय मामले में विवेचना प्रचलित है और अन्य साक्ष्य आना शेष है।

13. अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं दण्ड की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस स्तर पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त दशरथ की ओर से मु०अ०सं० 213/2026, धारा 108 बी.एन.एस., थाना महरौनी, जिला ललितपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 716/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः 15.06.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।